>

Title: Need to increase the amount of compensation for damaged houses and agricultural land rendered infertile due to landslides and heavy rains in Uttarakhand.

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): वर्ष 2005 से 2011 तक के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा राहत कोष व राष्ट्रीय अप्रत्याशित आपदा कोष के लिए जो मानक घोषित किये हैं उस पर जनहित में पुनर्विचार कर वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने जो सहायता राशि के जो मानक निर्धारित किये हैं उस पर पुनर्विचार आवश्यक है।

पर्वतीय राज्यों विशेष तौर पर उत्तराखण्ड में कई वर्षो से लगातार बरसात और बाढ़ से तबाही का ताण्डव हो रहा है। भूस्खलन और बाढ़ से मकान ध्वस्त हो रहे हैं और कृषि भूमि का कटाव हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ से जमीन उपजाऊ हो जाती है लेकिन पहाड़ों में जमीन पूर्णतः समाप्त हो जाती है।

केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिए राशि रू0 6000/– प्रति हेक्टेयर घोषित की गयी है लेकिन जहां कृषि भूमि पूर्णतः समाप्त हो जाती है वहां मात्र रू0 15000/– प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि स्वीकृत की गयी है।

पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकान पर रू0 35,000/– तथा कच्चे भवन पर रू0 10000/– की राशि दी जाती है। उत्तराखण्ड की राज्य सरकार केवल केन्द्रीय मानकों के अनुसार ही राहत राशि प्रदान कर रही है तथा राज्य कोष से किसी भी आपदा ग्रस्त को राहत राशि प्रदान नहीं की जा रही है। हाल ही में टिहरी बांध की झील के चारों ओर स्थित गांव भूस्खलन की चपेट में आये हैं जिससे जान–माल का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून के रायपुर ब्लाक के काल्लीगाढ़ गांव में दैवीय आपदा से कृषि भूमि एवं कई आवासीय भवन नष्ट हो गये हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध् है कि 2011 से आगे बनने वाली आपदा नीति में आवासीय मकानों को नष्ट होने और कृषि भूमि के नष्ट होने व अन्य मानकों में पुनर्विचार कर राहत राशि काफी बढ़ायी जाय ताकि आपदा त्रस्त लोगों को उचित राहत मिल सके।